पत्रांक/जी0एस0टी0/शोध/डाटा माईग्रेशन/2016–17 528 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 11 जनवरी,2017

1–समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
2–समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
3–समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

मुख्यालय के पत्र संख्या–जी0एस0टी0/शोध/ डाटा माईग्रेशन/2016–17/516/ वाणिज्य कर दिनांक 05.01.17 द्वारा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जी0एस0टी0 में दिनांक 10.01.2017 तक एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों में से कुल 736602 व्यापारियों के प्रोविजनल आई0डी0/पासवर्ड प्राप्त हुए हैं। जिनमें से दिनांक 10.01.17 तक मात्र 268112 व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट कराया गया है जो प्राप्त आई0डी0 व पासवर्ड का मात्र 36% है। जी0एस0टी0एन0 ने विभागीय अनुरोध पर एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट की तिथि 17.01.2017 तक बढ़ा दी है। **समीक्षा पर पाया गया है कि मेरठ, गौतमबुद्ध नगर व सहारनपुर जोन के द्वारा दिनांक 10.01.2017 तक एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट का अच्छा कार्य किया गया है जबकि इलाहाबाद, इटावा व वाराणसी–द्वितीय का प्रदेश में प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।** स्पष्ट है कि विस्तृत निर्देशों के जारी किए जाने के पश्चात् भी अधिकारी शत–प्रतिशत एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट का कार्य नहीं करा सकें हैं। अतः आप से अपेक्षित है कि जी0एस0टी0एन0 द्वारा एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट हेतु बढ़ाई गई तिथि दिनांक 17.01.2017 का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए शत–प्रतिशत एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट कराना सुनिश्चित किया जाए।

शतप्रतिशत एनरोलमेन्ट कराने हेतु निम्नवत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है–

1–खण्ड में कार्यरत डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा ऐसे सभी व्यापारियों की सूची, जिनके द्वारा अभी तक एनरोलमेन्ट नहीं कराया गया है, प्रतिदिन कम्प्यूटर से निकाल कर अपने पास रखी जाएंगी। खण्ड में एनरोलमेंट की कार्यवाही हेतु डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर पर अलग–अलग टीमें गठित की जाएंगी तथा प्रत्येक टीम में संबंधित अधिकारी के साथ पेशकार, स्टेनों, खातापालक, प्राप्तिप्रेषण लिपिक एवं पत्रवाहक में से कम से कम दो या तीन कार्मिक होंगे।

2–प्रत्येक अधिकारी अपने खण्ड के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के साथ डोर–टू–डोर/शॉप–टू–शॉप संपर्क करेंगे तथा व्यापारियों का एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित करेंगे।

3–अधिकारी/कर्मी व्यापारी के मोबाईल पर आवश्यकतानुसार "जी0एस0टी0 एनरोलमेंट (GST Enrolment) नामक मोबाईल ऐप गूगल प्लेय स्टोर से डॉउनलोड कराकर उनका एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित करेंगे।

4–इस कार्य में संबंधित बाजार/क्षेत्र/कमोडिटी विशेष से संबंधित व्यापार मण्डलों तथा विभिन्न औद्योगिक संगठनों, (जैसे आई0आई0ए0, एसोचेम, फिक्की, सी0आई0आई0 आदि) का सहयोग लिया जाएगा तथा उनके माध्यम से शतप्रतिशत उद्यमियो/व्यापारियों से संपर्क करना सुनिश्चित किया जाएगा।

5–प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/सी0टी0ओ0 स्तर पर इनरोलमेंट हेतु अवशेष व्यापारियों की कुल संख्या क़ा 1/5 व्यापारियों का इनरोलमेंट कराना प्रतिदिन लक्ष्य होगा तथा दिनांक 12.01.2017 से दिनांक 17.01.2017 तक लक्ष्य के अनुसार समस्त व्यापारियों का एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

6–इस एनरोलमेंट कार्य हेतु डीलर द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किये गये अधिवक्ता एवं सी0ए0 का सहयोग भी लिया जा सकता है।

7–एनरोलमेंट हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी टीम के साथ मोबाईल फोन द्वारा तथा भ्रमण कर व्यापक संपर्क कर एनरोलमेंट सुनिश्चित कराया जाएगा।

8–जिस बाजार/क्षेत्र में जनसंपर्क किया जाना है उस बाजार/ क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार एक दिन पूर्व ही कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

9–कैम्प/जनसंपर्क का व्यापक प्रचार–प्रसार रिक्शें के माध्यम से घोषणा, स्थानीय एफ0एम0 रेडियो, लोकल केबल नेटवर्क, स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय सिनेमाघरों में स्लाइड के माध्यम से कराया जाएगा।

10–उपरोक्त कार्य में प्रवर्तन एवं टैक्स आडिट के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उपयोग किया जाएगा।

11–संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा प्रतिदिन लक्ष्य के सापेक्ष हुई प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी एवं मुख्यालय तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रगति की सूचना दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.01.2017 तक शत्प्रतिशत एक्टीवेशन/एनरोलमेंट कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन अधिकारियों के द्वारा दिनांक 17.01.2017 तक शत–प्रतिशत एक्टीवेशन/एनरोलमेन्ट कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी। जिन डीलर्स द्वारा दिनांक 17.01.17 तक एनरोलमेंट नही कराया जाता, डोर–टू–डोर वेरीफिकेशन में अथवा मोबाईल पर संपर्क साधने पर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसे डीलर्स को बोगस/फर्जी/अस्तित्वहीन मानते हुए निरस्त कर दिया जाए, जिसकी सूचना दिनांक 20.01.17 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।

11/01/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।